## लोक सुनवाई का वृत।

**मेसर्स यूनिस्टार बायोटेक लिमिटेड, प्रो0– श्री प्रकाश चन्द्र, पिता–श्री गोपाल प्रसाद शर्मा, 2/67, दूसरी मंजिल, सेक्टर–06, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा पटना क्लस्टर–18 (पटना सोन–21 बालू घाट), मौजा–छिलका टोला, अंचल–बिहटा, जिला–पटना के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 22.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे पटना जिला के अंचल कार्यालय, बिहटा, जिला–पटना में लोक सुनवाई की गयी।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2402/2023, dated 20.05.2023 के आलोक में श्री अमिताभ सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना (जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 22.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, बिहटा, जिला–पटना में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर के माध्यम से दिनांक 22.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में

वृक्षारोपण (320 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

| कमांक | नाम एवं पता | प्रतिकिया/सुझाव |
|---|---|---|
| 1. | श्री अनिकेत राज, ग्राम–नंदौल, बिहटा, जिला–पटना। | इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान सड़क पर बालू गिर जाते है, जिससे आने–जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सड़क से गिरे हुए बालू को नियमित रूप से हटाया जाय। |
| 2. | श्री गोपी सिंह, ग्राम–बिंदौल, जिला–पटना। | इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना से खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से खनन प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। इसे खर्च किया जाना चाहिए।<br>खनन के दौरान बालू से लदा गाड़ी बिना तिरपाल से ढ़क हुए परिवहन किया जाता है। ओभर लोडिंग किया जाता है। परिहवन के दौरान बालू सड़क पर गिर जाता है, जिससे आने–जाने वाले मोटरसाईकिल को दूर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।<br>खनन निरीक्षक, खनन कार्यालय, पटना द्वारा आश्वस्त किया गया कि प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल पर संचित राशि खर्च की जायेगी।<br>पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में बालू से लदा गाड़ी को तिरपाल से ढ़ककर परिवहन किया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। नियमित |

| | | |
|---|---|---|
| | | रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा। |
| 3. | श्री सत्येन्द्र कुमार, ग्राम–छिलका टोला, बिंदौल, जिला–पटना। | इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि पर्यावरण को देखते हुए पेड़ लगने चाहिए। इनका देखभाल संवेदक एवं गाँव के लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। |
| 4. | श्री सुजीत कुमार, ग्राम–बिंदौल, जिला–पटना। | इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान अगर खनन 03 मी0 से अधिक होता है तो शिकायत करने पर क्या कारवाई होगी।<br>खनन निरीक्षक द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना के तहत् 03 मीटर से अधिक खनन होता है तो संवेदक पर कारवाई की जाएगी एवं जुर्माना भी लगाया जाऐगा। |
| 5. | श्री सोनू कुमार, ग्राम–बिंदौल, जिला–पटना। | इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू घाट से मुख्य सड़क तक के पहुँच–पथ पर दोनों ओर पेड़ लगना चाहिए। पहुँच–पथ की चौड़ाई क्या होगी।<br>पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि पहुँच–पथा की चौड़ाई 06 मीटर होगी। |
| 6. | श्री अमित कुमार, ग्राम–परेव, जिला–पटना। | इनके द्वारा पूछा गया कि खनन परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं।<br>पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। |
| 7. | श्री धिरेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम–बिंदौल, जिला–पटना। | इनके द्वारा पूछा गया कि अवैध खनन कैसे रूकेगा।<br>खनन निरीक्षक द्वारा बताया गया कि अवैध खनन को रोकने के लिए छापामारी की जाती है। बिना चालान के बालू परिवहन करने वाले वाहन पर विधि सम्मत जुर्माना एवं कारवाई की जाती है। |

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीये लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

29.8.13
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

29/8/13
अपर जिला दण्डाधिकारी,
पटना

6

# उपस्थिति सूचि

मेसर्स यूनिस्टार बायोटेक लिमिटेड, प्रो0—श्री प्रकाश चन्द्र द्वारा पटना क्लस्टर सोन –18 बालू घाट, मौजा—छिलका टोला, अंचल—बिहटा, जिला—पटना में आयोजित लोक—सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान—अंचल कार्यालय, बिहटा दिनांक 22.08.2023 समय—11:00 A.M.

| क्र.सं. | नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1. | अविनाश मिश्रा | अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना | [illegible] |
| 2. | आशीष कुमार गुप्ता | संयोजक पदाधिकारी, बि० रा० प्र० नि० पर्षद, पटना | [illegible] 22-8-23 |
| 3. | सैयद फरहीन | जिला खनन कार्यालय, पटना | Farheen 22/08/23 |
| 4. | शाहनवाज अहमद | जिला खनन कार्यालय पटना | [illegible] 22/08/23 |
| 5. | नीतीश कुमार | P&M Solution (Env. Consultant) | Nitish Kr. |
| 6. | भुजवल कुमार | P&M Solution. GNU | Bhujwal Kumar |
| 7. | गोपी सिंह | बेन्दौल बिहटा पटना | [illegible] 22-08-023 |
| 8. | मोहित सिंह | छिलका टोला | [illegible] 22-8-23 |
| 9. | पवन कुमार | बेन्दौल | Pawan 22/8/2023 |
| 10 | अनिकेत राज | बेन्दौल | Aniket Raj 22.8.23 |
| 11 | मुकेश सिंह | छिलका टोला | मुकेश सिंह 22.8.23 |
| 12 | धीरेन्द्र कुमार सिंह | बेन्दौल | [illegible] 22.08.23 |
| 13 | अमित कुमार | पटना | [illegible] 22.08.23 |
| 14 | सत्येन्द्र कुमार | छिलका टोला | सत्येन्द्र कु० 22.08.23 |
| 15 | सोनू कुमार | बेन्दौल | Sonu 22/08/23 |